कार्यालय कलेक्टर (प्रपत्र शाखा) जिला रायपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 409 /क/लिपिक/प्रपत्र शाखा/2020 रायपुर, दिनांक 12/03/2020

प्रति,

1. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला कार्यालय रायपुर
2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायपुर
3. सर्व संबंधित शाखाएं, जिला कार्यालय रायपुर

विषयः— लेखन सामग्री एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय हेतु अनुमोदित दर के 06 माह वृद्धि के संबंध में।

संदर्भः— क्रमांक/378/क/लिपिक/प्रपत्र शाखा/2019 रायपुर, दिनांक 30/09/2019

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक/378/क/लिपिक/प्रपत्र शाखा/2019 रायपुर, दिनांक 30/09/2019 द्वारा वर्ष 2019—20 (31 मार्च 2020 तक एवं आगामी आदेश तक) लेखन सामग्री एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय हेतु अनुमोदित दर के संबंध में ज्ञापन जारी किया गया था।

निविदा शर्तों की कंडिका क्रमांक 24 के अनुक्रम में उक्त लेखन सामग्री एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय हेतु अनुमोदित दर को 01 अप्रैल, 2020 से आगामी 06 माह के लिये वृद्धि हेतु आदेशित किया जाता है। शेष निविदा की शर्तें यथावत् रहेंगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Handaum

अपर कलेक्टर,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 410 /क/लिपिक/प्रपत्र शाखा/2020 रायपुर, दिनांक 12/03/2020

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, रायपुर को जिला कार्यालय रायपुर के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
3. आकांक्षा ट्रेडर्स, शॉप नं. 03, इन्द्रावती कालोनी रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. गणपति ट्रेडर्स, ओम सोसायटी सुंदरनगर रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. यश स्टेशनरी हाऊस, कॉफी हाऊस बिल्डिंग, जी.ई. रोड रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आपके द्वारा वर्ष 2019—20 के अनुमोदित दरों पर कार्य करने हेतु सहमति दी गई है। उक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2019—20 के अनुमोदित दरों के आधार पर सभी सामग्रियॉ निर्धारित व निश्चित मापदण्ड से उपलब्ध कराये गये नमूने के अनुसार तत्काल उपलब्ध करावें। कृपया ध्यान रखें कि वांछित सामग्री अनिवार्य रूप से अतिशीघ्र कार्यालयीन अवधि में मॉगकर्ता कार्यालय को उपलब्ध करावें। सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी एवं वाहन खर्च दुकानदार को वहन करना होगा। अगर दुकानदार द्वारा समयावधि का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे कि शासकीय कार्य अवरोध उत्पन्न होने पर मॉगकर्ता कार्यालय से शिकायत प्राप्त होने पर उक्त दुकान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Handaum

अपर कलेक्टर,
रायपुर